संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड–अ, भोपाल

क्रमांक / स्था. / एस.ए.एस / सं.को.ले. /12 भोपाल, दिनांक 06 / 01 / 2018

––आदेश––

याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 3017 / 2017 श्रीमति रत्नमाला शर्मा विरुद्ध म. प्र. शासन में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13 / 09 / 2017 के परिपालन में म0 प्र0 शासन वित्त विभाग के यू. ओ / 01 / 2018 / डीचार दिनांक 02 / 01 / 2018 द्वारा श्रीमति रत्नमाला शर्मा को वरण कोटे के अंतर्गत म.प्र. अधीनस्थ लेखा संवर्ग में नियुक्ति प्रदान किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2– उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा वर्ष–2011 में उत्तीर्ण शासकीय सेवक श्रीमती रत्नमाला शर्मा को म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 3600 का तत्स्थानी (म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स में लेवल 9 में वेतनमान 36200–114800) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तो के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित स्थल पर अस्थाई रूप से पदस्थापना कर पदस्थ किया जाता है। यह नियुक्ति पैरा–3 में अंकित शर्तो के अधीन होगी ।

क्र0	अभ्यर्थी का नाम व पता	पद व कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्रीमति रत्नमाला शर्मा , सहायक ग्रेड–3, कार्यालय सहायक आयुक्त वाणिज्य कर ग्वालियर वृत्त–1, ग्वालियर	संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय, ग्वालियर	यह नियुक्ति आदेश की कण्डिका 3.6 के अध्याधीन होगी ।

3–नियुक्ति की शर्तेः–

3.1 परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, पदोन्नति आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम–1961 एवं म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम–1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित होंगे । म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में कार्यग्रहण करने के दिनांक से वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी ।

3.2 दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर या अन्य पर्याप्त कारणों से आयुक्त, कोष एवं लेखा परिवीक्षा अवधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेंगे अथवा सेवायें समाप्त कर सकेंगे ।

3.3 नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष के लिये वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 3600 (म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स में लेवल 9 में वेतनमान 36200–114800) में तथा उस पर देय समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी।

निरंतर.....2......

3.4 उक्त शासकीय सेवक द्वारा दिनांक 22.01.2018 तक कमांक–3 में उल्लेखित पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण नही करने की दशा में उनका म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में नियुक्ति आदेश प्रभावहीन हो जावेगा । इसके फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी का म.प्र.अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में नियुक्ति का कोई स्वत्व नही होगा ।

3.5 उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच / न्यायालीन जांच / लोकायुक्त प्रकरण लंबित हो तो वह म.प्र. लेखा सेवा संवर्ग में नियुक्ति का पात्र नही होगा । संबंधित कार्यालय प्रमुख वस्तुस्थिति से संचालनालय को अवगत करावें ।

3.6 याचिका कमांक डब्ल्यू पी 3017/2017 विरुद्ध म. प्र. शासन में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/09/2017 के परिपालन में संवर्ग में नियुक्ति की जा रही है । यदि भविष्य में इस आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

कमांक / स्था. / एस.ए.एस / सं.को.ले. / भोपाल/13 दिनांक 06 /01/2018

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. वित्त मंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर, म0 प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालय सहायक आयुक्त वाणिज्य कर ग्वालियर वृत्त–1, ग्वालियर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारी को नवीन पदस्थापना पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें।
5. संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय, ग्वालियर की ओर संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराने के पश्चात् 15 दिवस के कोषालयीन कार्यों के प्रशिक्षण हेतु जिला कोषालय, ग्वालियर भेजें।
6. श्रीमति रत्नमाला शर्मा, सहायक ग्रेड–3 कार्यालय सहायक आयुक्त वाणिज्य कर ग्वालियर वृत्त–1, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. न्यायालयीन शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल ।
8. संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा